



प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम

प्रलिस के लयि

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, खादी और ग्रामोद्योग आयोग

मेन्स के लयि

स्वरोज़गार और ग्रामीण वकिस से संबंढति प्रश्न

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में '[खादी और ग्रामोद्योग आयोग](#)' (Khadi and Village Industries Commission- KVIC) के नेतृत्व में 'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम' (Prime Minister Employment Generation Program- PMEGP) के कार्यान्वयन में काफ़ी प्रगत देखने को मली है।

प्रमुख बडु:

- हाल ही में जारी आंकड़ों (1 अप्रैल से 18 अगस्त तक) के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के पहले पाँच महीनों में इस कार्यक्रम के तहत परयोजनाओं की स्वीकृति में 44% की वृद्धि देखने को मली है।
- 1 अप्रैल के बाद से 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग' द्वारा बैंकों से वित्तपोषण हेतु 1.03 लाख आवेदनों को मंजूरी दी गई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में मात्र 71,556 परयोजनाओं को वित्तपोषण के लयि मंजूरी दी गई थी।
- चालू वित्तीय वर्ष में 'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम' के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या में 5% की वृद्धि देखने को मली है।
- इस वर्ष 1 अप्रैल से 18 अगस्त के बीच 'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम' के तहत 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग' को 1,78,003 आवेदन प्राप्त हुए जबकि इसी अवधि के दौरान वर्ष 2019 में 1,68,848 आवेदन प्राप्त हुए थे।

'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister Employment Generation Program-PMEGP)

- 'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम' केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
- इस योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री रोज़गार योजना (PMRY) और ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम को मलाकर की गई थी।
- 'केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय' के तहत संचालति इस योजना का कार्यान्वयन 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग' (Khadi and Village Industries Commission- KVIC) द्वारा कयि जाता है।

उद्देश्य:

- स्वरोज़गार से जुड़े नए उपक्रमों/सूक्ष्म उद्यमों/परयोजनाओं के वकिस को बढ़ावा देकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर उत्पन्न करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ युवाओं के पलायन को रोकने के लयि देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गार युवाओं और कलाकारों के लयि स्थायी रोज़गार का प्रबंध करना।

पात्रता:

- कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
- इस कार्यक्रम के तहत केवल नई इकाइयों की स्थापना के लयि सहायता प्रदान की जाती है।

- इस कार्यक्रम के तहत वननिर्माण क्षेत्र में 10 लाख से अधिक की परियोजनाओं और सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिये शैक्षणिक योग्यता के तौर पर लाभार्थी को आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- इसके साथ ही ऐसे स्वयं सहायता समूह जिनमें किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ न मिला हो, 'सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860' के तहत पंजीकृत संस्थान, उत्पादक कोऑपरेटिव सोसायटी और चैरिटेबल ट्रस्ट आदिके तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

सहायता:

- इसके तहत सामान्य श्रेणी (General Category) के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों 15% सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
- इस कार्यक्रम के तहत एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला, भूतपूर्व सैनिक, दवियांग, पहाड़ी और सीमा क्षेत्र, आदि से संबंधित आवेदक ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 35% और शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25% सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

परियोजनाओं की मंजूरी में आई तेज़ी का कारण:

- 'केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय' द्वारा 28 अप्रैल, 2020 को PMEGP परियोजनाओं की मंजूरी के लिये 'ज़िला स्तरीय कार्य दल समिति' (District Level Task Force Committee- DLTF) की भूमिका को समाप्त करने के लिये परियोजना से जुड़े दशिया नरिदेशों में बदलाव किया गया था।
- PMEGP परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया में ज़िला कलेक्टर की अध्यक्षता में DLTF के शामिल होने से इसमें बहुत अधिक समय लगता था।
- केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दशिया-नरिदेशों के अनुसार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग को इस योजना के तहत भावी उद्यमियों के आवेदनों को मंजूरी देने और ऋण प्राप्त करने हेतु इसे बैंकों को अग्रप्रेषित करने का कार्य सौंपा गया।
- परियोजनाओं की मंजूरी में ज़िला कलेक्टरों की भूमिका को समाप्त करने से इस कार्यक्रम का तीव्र कार्यान्वयन सुनिश्चित संभव हुआ है।

परियोजनाओं का वित्तपोषण:

- अगस्त और अप्रैल के बीच में वित्तपोषण बैंकों द्वारा 11,191 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और आवेदकों को 345.43 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में वितरित किया गए।
- गौरतलब है कि वर्ष 2019 में इसी अवधि के दौरान 9,161 परियोजनाओं के लिये मात्र 276.09 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में वितरित किया गया था।

महत्त्व:

- चालू वित्तीय वर्ष में PMEGP परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई वृद्धि का महत्त्व और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस अवधि के दौरान देश के अधिकांश भागों में COVID-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई थीं।
- बड़ी संख्या में परियोजनाओं को स्वीकृति देना स्थानीय स्तर पर वननिर्माण को बढ़ावा देते हुए लोगों के लिये स्वरोज़गार और स्थायी आजीविका का सृजन करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

चुनौतियाँ:

- इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से ही इसे संरचनात्मक मुद्दों और 'गैर नरिपादित संपत्तियाँ' (Non-Performing Assets- NPA) की बढ़ती संख्या जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2018-19 के बीच इस कार्यक्रम के तहत 10,169 रुपए आवंटित किए गए थे जिनमें से 1,537 करोड़ रुपए NPA में बदल गए।
- इस कार्यक्रम के तहत MSME क्षेत्र के उद्यमों में 15% NPA की दर इसी क्षेत्र में वैश्विक NPA दर (11%) से बहुत अधिक है।
- आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लिये वार्षिक रूप से एक स्पष्ट लक्ष्य नरिधारित किया जाता है, परंतु इस योजना में ऐसे किसी लक्ष्य को नरिधारित नहीं किया गया है।

आगे की राह:

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग अध्यक्ष के अनुसार, बैंकों द्वारा धनराशि स्वीकृत करने की प्रक्रिया में तेज़ी लानी चाहिये जिससे अधिक-से-अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।
- परियोजनाओं के कार्यान्वयन और रोज़गार सृजन के लिये समय पर पूंजी का वितरण बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।
- वित्तीय सहायता के साथ सरकार द्वारा उद्यमियों को सही बाज़ार और सही उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिये।

स्रोत: पीआईबी

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/prime-minister-s-employment-generation-program>

